1-6-15 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तुत हुई। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। इस प्रार्थना के चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलानुसार होकर तामील के बाद दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी वाद हो।